न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

निगरानी संख्या 10/2022

1. रामसिंह बोला उम्र–69 वर्ष पुत्र खेताराम जाति निवासी वार्ड नम्बर–17 बोला की ढाणी तन मन्ड्रेला तहसील चिडावा जिला झुंझुनू बहैसियत सचिव श्री गोगा मेडी सेवा समिति मंड्रेला झुंझुनू राज०।

2. जयपाल सिंह उम्र 69 वर्ष पुत्र श्री रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नम्बर 14, मंड्रेला, तहसील चिडावा जिला झुंझुनू बहैसियत कोषाध्यक्ष श्री गोगा मेडी सेवा समिति मंड्रेला झुंझुनू राज०।

–निगरानीकार–

बनाम

1. गोविन्दलाल सोनी पुत्र श्री विलासराम सोनी निवासी ग्राम मंड्रेला तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू राज.।

2. ग्राम पंचायत मंड्रेला, तहसील चिडावा जिला झुंझुनू राज.।

–गैर निगरानीकारान–

निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश दिनांक 05.04.2003 पट्टा बुक नम्बर 63 ग्राम पंचायत मण्ड्रेला।

उपस्थितिः–

1. श्री भँवर सिंह परमार, एडवोकेट..... निगरानीकार की ओर से।
2. श्री शीशराम सैनी, एडवोकेट.....गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से।

–निर्णय– दिनांक : 31.12.2025

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम मंड्रेला तहसील चिडावा जिला झुंझुनू में सार्वजनिक बगीची व मंदिर श्री गोगामेडी का स्थित है। जो सैकड़ो वर्ष पुराना है। इस मंदिर व बगीची की भूमि रियासत काल से ठिकाना खास जमात शेखावाटी द्वारा दी गई थी, जिसका विवरण खसरा आबादी मोजा मंझोला सम्वत 1988 सन 1931–32 में नम्बर शुमार 563 मोहल्ला बगीची हज्यावाली नाम ठिकाना पंचपाना उक्तदाता जमीन बगीची गुर्जर नाथ गुरु हेमा नाथ फकीर सा.देह के नाम मालिक के दर्ज थी उक्त

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

Scanned with CamScanner

बगीची का वरवक्त खसरा तैयारी 20854 वर्गगज इमारती गन था। उक्त बगीची व मंदिर का उपयोग सार्वजनिक रूप से कदीमी अरसा दराज से आम जनता करती आ रही है। उक्त गुजर नाथ की मृत्यु के बाद इस बगीची व मंदिर की देखभाल श्री गोमामेडी सेवा समिति ग्राम मंड्रेला द्वारा किया जाता है समिति के सदस्यों व पदाधिकारियों द्वारा ही इसका विकास व उत्सव आयोजित किए जाते है, गत कुछ समय से भूमाफियों द्वारा उक्त बगीची व मंदिर को हडपने के कुत्सित प्रयास किये जा रहे है इसलिए मंदिर व बगीची को बचाने के लिए समिति ने सर्वसम्मति से दिनांक 20.6.2022 को प्रस्ताव पारित कर मंदिर व बगीची को बचाने हेतु कानूनी कार्यवाही हेतु समिति के मंत्री व कोषाध्यक्ष को कानूनी कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया है। इसलिये ग्राम पंचायत मण्ड्रेला द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.04.2003 के विरूद्ध यह निगरानी अलावा दिगर वजूहात तथ्यों के आधार पर कर समुचित निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया जावे।

निगरानी न्यायालय में प्रस्तुत होने पर गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 2 को नोटिस भेजकर तामील की गई। रिकार्ड ग्राम पंचायत मण्ड्रेला तलब किया जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि निगरानीकार ग्राम पंचायत मण्ड्रेला का रहने वाला है। ग्राम पंचायत मण्ड्रेला द्वारा जारी किया पट्टा 300 वर्ग गज से अधिक है, जो क्षेत्राधिकार से बाहर व नियम विरूद्ध है। मौके पर उक्त विवादित जगह विविधीकरण दिखाया गया है जबकि उक्त विवादित जगह वाणिज्यिक प्रोजनार्थ काम में ली जा रही है। उक्त विवादित भूमि में पट्टे से पूर्व मौके पर मकान नही है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं 1 को दिनांक 5.4.2003 को पटटा जारी किया है वह खिलाफ कायदा कानून व रूहेदाद मिसल होने से खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी को ग्राम पंचायत ने जिस भूमि का पटटा दिया गया है वह अप्रार्थी के स्वामित्व व कब्जे की भूमि नहीं है। ना ही मौके पर उसका रिहायशी मकान या गृह ही बना हुआ है। वादग्रस्त आराजी पर उसका 50–60 वर्षो से कभी कोई कब्जा नहीं रहा ना ही पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य है कि वादग्रस्त भूमि पर उसका पुश्तैनी कब्जा रहा हो वास्तविकता में यह भूमि देवता गोगामेडी के मंदिर के अधीन कदीमी भूमि का भाग है जिसका पटटा फर्जी कार्यवाही करते हुये ग्राम पंचायत से प्राप्त किया है, जो काबिले नियम 157 के तहत पटटा गलत जारी किया गया है। देय फीस जमा नहीं कराई है। अप्रार्थी ने पटटा प्राप्ति हेतु नियमानुसार कोई प्रार्थनापत्र पेश नहीं किया है ग्राम पंचायत ने पटटा जारी करने के नियमो की पालना नहीं की ओर नियमो का उल्लघन कर पटटा जारी किया है इसलिए पटटा खारिज किये जाने योग्य है।

पटटा जारी करने से पूर्व प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर नहीं किया गया स्थल निरीक्षण फीस जमा नहीं कराई गई पत्रावली में स्थल निरीक्षण हेतु पंच नियुक्त नहीं की गई भूमि पर पुराना गृह स्थित होना साबित नहीं है नियम 157 (ख) के तहत पटटा गलत दिया गया है। अस्थाई निर्णय नहीं लिया गया, स्थल निरीक्षण नहीं किया गया आपत्ति नोटिस जारी नहीं किया बाजारू कीमत निर्धारित नहीं की गई पट्टा पंचायत समिति को नहीं भेजा गया, इसलिए पटटा खारिज किये जाने

जिला कलेक्टर

Scanned with CamScanner

योग्य है। पटटा एक ही दिन मे जारी कर दिया गया अपील की मियाद नहीं गुजरने दी गई। निगरानी हेतु मियाद निश्चित नहीं है। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा बहस अप्रार्थी संख्या 1 खारिज फरमाया जावें।

बहस के दौरान अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 2 ने कथन किया कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए ग्राम पंचायत मण्ड्रेला ने पट्टा हमारे पक्ष में विधि सम्मत कार्यवाही की है। मौके के मकान इत्यादि पट्टे बनने से पूर्व के बने हुए है। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा भी इस संबंध में दिवानी मूल वाद खारिज किया गया। गोगामेडी अध्यक्ष द्वारा भी हमाने पक्ष में शपथ पत्र दिया है।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान पर बगैर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रकरण में निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे को नियमानुसार नहीं बताया है। इस संबंध में रिकार्ड अदालत मातहत का अवलोकन किया, जिससे साफ जाहिर है कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित आवेदन प्राप्त होने पर विधिक प्रकिया के अनुसार पट्टा जारी किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। निगरानीकार अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में विफल रहे है। ऐसे में हम निगरानीकार की निगरानी खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः निगरानी खारिज की जाकर ग्राम पंचायत मण्ड्रेला द्वारा धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत मण्ड्रेला दिनांक 05.04.2003 बसिलसिले पट्टा बुक संख्या 63 बहक गोविन्दलाल सोनी को यथावत रखा जाता हैं। रिकॉर्ड ग्राम पंचायत मण्ड्रेला को फैसले की प्रति सहित आगामी कार्यवाही हेतु को भिजवाई जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलेक्टर

(अजय कुमार आर्य),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।

Scanned with CamScanner